न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 56/2009

केदार लाल पुत्र श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी मूण्डली तह0 मांगरोल जिला बारां

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व धारा 136 आर0एल0आर0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री भंवर सिंह गौड

निर्णय दिनांक : 28.03.2018

दायरा दिनांक: 07.10.2009

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व मोहन सगे भाई है जिनके विवादग्रस्त खेत पास–पास है वादी ने दिनांक 20.07.1983 को किशनगोपाल पुत्र मन्ना लाल जाति धाकड निवासी रायथल से उनके खाते की आराजी खसरा नं0 1303/1801 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा वाके माल रायथल तह0 मांगरोल को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा है। तत्पश्चात उक्त आराजी वादी के खाते में लेने दिनांक 28.09.1984 निर्णय सहायक भू प्रबंध अधिकारी के द्वारा दर्ज की गई। वादी इस आराजी पर बतौर खातेदार कब्ज काश्त कर रहा है। इस आराजी का बाद सेटलमेंट नं0 पुराना 1303/1801 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा था जो नया खसरा नं0 714/1985 रकबा 0.37 है0 कायम किया गया। जबकि वादी के खाते में पुराना रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा के अनुसार नया रकबा बाद सेटलमेंट 0.37 है0 नही होकर 0.59 है0 होना चाहियें इस प्रकार सहवन से सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी के खाते में 0.22 है0 आराजी कम करके 0.37 है0 आराजी को खाते में दर्ज कर दिया गया जिसको वादी संशोधित करवाकर चालू जमाबंदी में अपना रकबा 0.59 है0 दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वादी के खाते की आराजी खसरा नं0 714/1985 रकबा 0.37 है0 वाके माल रायथल तहसील मांगरोल को संशोधित कर 0.22 है0 की कमी की कमीपूर्ति कर वादी के उक्त खाते की आराजी को 0.59 है0 दर्ज किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2017/केम्प रायथल/44 दिनांक 05.06.2017 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम रायथल के खसरा नं0 414/1985 रकबा 0.37 है0 भूमि केदार लाल पुत्र रामगोपाल जाति कुम्हार सा0 मूण्डली के नाम दर्ज खाता है। उक्त आराजी प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.07.1983 को मुताबिक विक्रय पत्र साबिक खसरा नं0 1303/1801 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा विक्रेता किशन गोपाल पुत्र मन्नालाल धाकड द्वारा खरीदी गई थी। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल

[illegible] के साबिक खसरा नं0 1303/1801 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा से बने [illegible] के मुकाबले वर्तमान में 0.22 है0 भूमि बन्दोबस्त विभाग द्वारा कम दर्ज [illegible] 2009–10 द्वारा उक्त रकबे से 0.02 है0 भूमि की कटौती करके 0. [illegible] केचमेंट द्वारा खसरा नं0 3262 रकबा 0.35 है0 भूमि दर्ज की गयी जो [illegible] 714/1985 रकबा 0.15 है0, 722/0.03 से बने है। प्रार्थी का समीपस्थ खसरा नं0 [illegible] भूमि पर कब्जा है। इससे प्रार्थी के रकबे की कमी पूर्ति खसरा नं0 3263 केचमेंट [illegible] की जा सकती है। मुताबिक राजस्व रेकार्ड खसरा नं0 3263 सिवायचक दर्ज है।

[illegible] पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर आद्योपन्त अवलोकन [illegible] किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 714/1985 रकबा 0. [illegible] है0 वाके माल रायथल तहसील मांगरोल को संशोधित कर 0.22 है0 की कमी की कमीपूर्ति कर वादी के [illegible] खाते की आराजी को 0.59 है0 दर्ज किये हेतु निवेदन किया है। इस कम में हमने पत्रावली में उप्लब्ध [illegible] रायथल की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2061–2064 में खाता संख्या 40 केदार पुत्र गोपाल लाल कुम्हार [illegible] अंकित है जिसके नाम पुराने खसरा नम्बर 414/1985 रकबा 0.37 है0 दर्ज है। एवं छाया प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं उक्त समस्त पुरानी जमाबंदी चौसाला एवं मिलान क्षेत्रफल की नकलो का अध्ययन/तहसीलदार मांगरोल जो भूमि धारक लैण्ड होल्डर है और राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट के अनुसार वाद आराजी खसरा नं0 714/1985 रकबा 0.37 है0 के साबिक खसरा नं0 1303/1801 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा से बने है। इस प्रकार प्रार्थी के रकबा गत के मुकाबले वर्तमान में 0.22 है0 भूमि बन्दोबस्त विभाग द्वारा कम दर्ज की गई है। प्रार्थी का समीपस्थ खसरा नं0 3263 रकबा 0.18 है0 भूमि पर कब्जा है। अतः प्रार्थी के रकबे की कमी पूर्ति खसरा नं0 3263 केचमेंट रकबा 0.18 से की जाकर वादी के खाते की आराजी खसरा नं0 714/1985 रकबा 0.37 है0 वाके माल रायथल तहसील मांगरोल को संशोधित कर खसरा नं0 714/1985 का रकबा 0.55 है0 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उक्त अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गय